(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 001/2021
GST Circular No. 001/2021

2016/AC-II/01/06/CRIS | 1st January 2021

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Amendment to GST Act and rules.

Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) vide various notifications dated 22nd December 2020 have amended certain provisions of GST Act and Rules made thereunder. The relevant amended provisions are as follows:

1. **Time limit for availment of credit with respect to debit notes**
   Section 16(4) of CGST Act, 2017 stipulates last date for availment of Input Tax Credit (ITC) for a financial year. Now, vide Notification No. 92/2020-Central Tax dated 22nd December 2020, section 16(4) has been amended, **with effect from 01st January 2021**, to provide for increased time limit for ITC availment with respect to debit notes. The amended section is reproduced below:

   "(4) A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier."

   To recall, the earlier section 16(4) (i.e. prior to amendment) provided for ITC availment with respect to debit notes to the earlier of filing of FORM GSTR-3B for month of September following the end of financial year to which the invoice related to such debit note pertains or filing of annual return. Now, the amended section provides for time limit for ITC availment with respect to financial year to which the debit notes pertains.

   For example: Against an invoice dated December 2020 where debit note is raised in the month of May 2021,

last date for ITC availment (prior to amendment) was: Earlier of filing of FORM GSTR-3B for September 2021 or filing of annual return for FY 2020-21.

last date of ITC availment (post amendment) is: Earlier of filing of FORM GSTR-3B for September 2022 or filing of annual return for FY 2021-22.

2. **Restriction on filing of FORM GSTR-1**

A Registered person shall not be allowed to furnish FORM GSTR-1, if he/she has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding two months. Thus, filing of return under FORM GSTR-3B has become prerequisite for furnishing of details under FORM GSTR-1, to some extent.

Moreover, it is pertinent to note that such an amendment might have an impact on inward supplies of Indian Railways as there are possibilities that certain invoices for inward supplies not reflecting in FORM GSTR-2A of Indian Railways inter-alia could be owing to this amendment i.e. certain suppliers of Indian Railways might have failed to file their respective FORM GSTR-3B for certain period owing to which furnishing of details of outward supplies in FORM GSTR-1 would have been blocked resulting innon-reflection/auto-population of ITC in respect of such inward supplies in Indian Railways' FORM GSTR-2A.

3. **Cancellation of GST registration**

In below mentioned cases, the registration of the registered persons shall be suo-moto cancelled:

- Availment of ITC in violation of the provisions of section 16 of the CGST Act, 2017 or the rules made thereunder.
- Details of outward supplies furnished in FORM GSTR-1 for one or more tax periods is in excess of the outward supplies declared under FORM GSTR-3B for such tax periods i.e. taxable value and tax amount reported under FORM GSTR-1 exceeds taxable value and tax amount reported under FORM GSTR-3B.

4. **Suspension of GST registration**

In below mentioned case, the registration of the registered person can be suspended by the officer:

- In case of significant differences in amounts reported under FORM GSTR-1 vis-à-vis amounts reported under FORM GSTR-3B and/or amount reported under FORM GSTR-3B vis-à-vis amount auto-populated under FORM GSTR-2A or after such other analysis as may be carried out on recommendations of GST Council.

Also, during the period of suspension, no refund shall be granted and the earlier requirement to provide reasonable opportunity of being heard to the registered person before suspension of registration has now been done away with i.e. the respective words have now been removed from the rules.

1/1/2021

With respect to point 3 and 4 above, it shall be duty of Zonal Railways to ensure that values reported under FORM GSTR-1 and auto-populated in FORM GSTR-2A reconcile with FORM GSTR-3B. CRIS shall effectuate modifications in the system to ensure that values to be reported in FORM GSTR-3B reconcile with amounts furnished under FORM GSTR-1 and auto-populated in FORM GSTR-2A. Such an exercise shall be undertaken prior to filing of return under FORM GSTR-3B for tax periods following the month of December 2020.

All the Zonal Railways/Production Units must acquaint themselves with aforementioned changes in law and the allied mechanism and shall ensure GST compliances in consultation with their GST consultants. Difficulty, if any, in the implementation of these instructions may please be brought to the notice of the Board.

(V.Prakash)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board.
3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units.
4. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS.

भारत सरकार (Government of India)

रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)

रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 001/2021

जीएसटी परिपत्र सं. 001/2021

2016/एसी-II/01/06/क्रिस

1 जनवरी 2021

महाप्रबंधक,

सभी ज़ोनल रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : जीएसटी अधिनियम एवं नियमों में संशोधन ।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दिनांक 22 दिसंबर 2020 की विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत जीएसटी अधिनियम एवं नियमों के कुछ प्रावधानों में इस आधार पर संशोधन किए हैं। सुसंगत संशोधित प्रावधान निम्नानुसार हैं :

1. डेबिट नोट के संबंध में क्रेडिट प्राप्त करने के लिए समय-सीमा

   सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का खंड 16 (4) एक वित्त वर्ष में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की अंतिम तिथि अनुबंधित करता है। अब, डेबिट नोट के संदर्भ में आईटीसी प्राप्त करने की बढ़ी हुई समय-सीमा प्रदान करने के लिए, दिनांक 22 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 92/2020-केंद्रीय कर के तहत खंड 16(4) में 01 जनवरी, 2021 से संशोधन किया गया है। संशोधित खंड नीचे दिया गया है :

   "(4) एक पंजीकृत व्यक्ति, माल की आपूर्ति अथवा सेवा या दोनों के लिए किसी भी बीजक अथवा डेबिट नोट के संदर्भ में खंड 39 के अंतर्गत रिटर्न जमा करने की नियत तिथि के बाद वित्त वर्ष की समाप्ति पर सितंबर माह के लिए, जिसके लिए ऐसे बीजक या डेबिट नोट संबंधित होंगे अथवा सुसंगत वार्षिक रिटर्न, जो भी पहले हो, के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार नहीं होगा।"

   याद रखने के लिए, पहले खंड 16(4) (अर्थात् संशोधन से पूर्व) में वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद सितंबर माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी भरने से पहले जिसके लिए ऐसे बीजक या ऐसे डेबिट नोट से संबंधित बीजक अथवा वार्षिक रिटर्न के लिए डेबिट नोटों के संबंध में आईटीसी प्राप्त करने के लिए प्रावधान दिया था । अब, संशोधित खंड में डेबिट नोट जिस

वित्त वर्ष से संबंधित है उसके संबंध में आईटीसी प्राप्त करने के लिए समय-सीमा का प्रावधान देता है।

उदाहरणत: दिनांक दिसंबर 2020 के बीजक के संबंध में जहां डेबिट नोट मई 2021 माह में उठाया गया,

आईटीसी प्राप्त करने की अंतिम तिथि (संशोधन से पहले) : सितंबर 2021 के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरने से पहले अथवा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से पहले थी।

आईटीसी प्राप्त करने की अंतिम तिथि (संशोधन के बाद) : सितंबर 2022 के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरने से पहले अथवा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से पहले है।

2. फॉर्म जीएसटीआर-1 भरने पर प्रतिबंध

एक पंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-1 जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसने पिछले 2 माह की रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-3बी में नहीं भरी है। अत: कुछ हद तक, जीएसटीआर-3बी फॉर्म के अधीन रिटर्न भरना जीएसटीआर-1 फॉर्म के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत करने के लिए पूर्वापेक्षित है।

इसके अलावा, यह ध्यान देना उपयुक्त होगा कि ऐसा संशोधन भारतीय रेल की आवक आपूर्तियों पर प्रभाव डालेगा चूंकि यह संभव है कि भारतीय रेल के जीएसटीआर-2ए फॉर्म में आवक आपूर्तियों के कुछ बीजक नहीं दर्शाए गए होंगे जो अन्य बातों के साथ साथ इस संशोधन की वजह से होंगे अर्थात् भारतीय रेल के कुछ आपूर्तिकर्ता कुछ अवधि के लिए अपने जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरने में असफल रहे होंगे जिस कारण फॉर्म जीएसटीआर-1 में उन जावक आपूर्तियों का विवरण भरना ब्लॉक होगा परिणामत: भारतीय रेल के फॉर्म जीएसटीआर-2ए में ऐसी आवक आपूर्तियों के संबंध में आईटीसी का इन्नॉन रिफ्लेक्शन/ऑटो पॉपुलेशन हो गया होगा।

3. जीएसटी पंजीकरण रद्द होना

निम्नलिखित मामलों में पंजीकृत व्यक्तियों का पंजीकरण स्वत: ही रद्द हो जाएगा :

- सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के खंड 16 के प्रावधानों अथवा इसके आधार पर बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए आईटीसी प्राप्त करना।
- एक या अधिक कर अवधियों में फॉर्म जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्तियों का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-3बी में ऐसी कर अवधियों के लिए घोषित जावक आपूर्तियों से अधिक है अर्थात् फॉर्म जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट की गई करयोग्य मूल्य और कर

राशि फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिपोर्ट की गई करयोग्य मूल्य और कर राशि से अधिक है।

4. <u>जीएसटी पंजीकरण का निलंबन</u>

निम्नलिखित मामलों में, पंजीकृत व्यक्तियों के पंजीकरण को अधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है:

- फॉर्म जीएसटीआर-1 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशियों की तुलना में फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशियों में और/अथवा फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशियों की तुलना में फॉर्म जीएसटीआर-2ए में ऑटो-पॉपुलेटिड राशि में अथवा ऐसे अन्य विश्लेषण के बाद जिसे जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर किया गया हो, में काफी अंतर है।

साथ ही, निलंबन की अवधि के दौरान कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा और पंजीकरण के निलंबन से पहले पंजीकृत व्यक्ति का पक्ष सुनने के उचित मौके को भी अब हटा दिया गया है अर्थात् संबंधित शब्दों को नियमों से हटा दिया गया है।

उपरोक्त बिंदु 3 और 4 के संबंध में, यह सुनिश्चित करना ज़ोनल रेलों की ड्यूटी होगी कि फॉर्म जीएसटीआर-1 के अंतर्गत दिए गए और फॉर्म जीएसटीआर-2ए में ऑटो-पॉपुलेटिड मूल्य फॉर्म जीएसटीआर-3बी से मिलते हैं। क्रिस प्रणाली में आशोधनों को प्रभावी करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिपोर्ट किए गए मूल्य फॉर्म जीएसटीआर-1 में भरी गई राशियां और फॉर्म जीएसटीआर-2ए ऑटो-पॉपुलेटिड मूल्य मिलते हैं। इसे दिसंबर 2020 के बाद की कर अवधियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी के अधीन रिटर्न भरने से पहले प्रयोग में लाया जाएगा।

सभी ज़ोनल रेलें/उत्पादन इकाइयां स्वयं को नियमों में पूर्वोक्त परिवर्तनों से और संबद्ध तंत्र से परिचित कर लें और अपने जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से जीएसटी अनुपालनाएं सुनिश्चित करें। इन अनुदेशों के कार्यान्वयन में यदि कोई मुश्किलें आएं तो उन्हें कृपया बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

ह०

(वी.प्रकाश)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड।
2. सभी निदेशक, निदेशक स्तर का जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी ज़ोनल रेलें और उत्पादन इकाइयां।

4. **महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस।**